



६५६

संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २२७०/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति:-

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

PRINCIPAL / DIRECTOR,
A.D.S. GROUP OF COLLEGE (RUN BY AJAR AMAR SHIKSHA
PRASAR SAMITI),
KHASRA NO. 343/2, 343/3, 345/1/2/KA/2, VILL-PARWALIA
SADAK, TEH-HUZUR, BHOPAL, MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

संबद्ध:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १३७७२ दिनांक: २२/५/१५

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: ३९३.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०ए८० - १०२ छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विसंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५, ६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-च्यव पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी विकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विद्या संबद्धता के किसी भी छत्र का प्रवेश माल्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियमक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियमक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय वे कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा बर्ही किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविद्यमिता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विस्तृत जाना जाएगा।



पृष्ठक्रमांक २२७१/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

आदेशानुसार,

टृप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

सहा.-कुलसचिव, अकादमी



667

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २३५५/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक ८३।४६।२०१८

PRINCIPAL / DIRECTOR,
AYUSHMATI COLLEGE OF EDUCATION,
RUN BY AYUSHMATI EDUCATION AND SOCIAL
SOCIETY, NH-12, VILLAGE JATKHEDI,
HOSHANGABAD, BHOPAL MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १३३००३ दिनांक: २८/८/१५

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: ३१३.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०एड० -१०८ छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५, ६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्ट एकाउंट से शास्त्रीय करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विज्ञान संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश माव्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कागियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जावे वाले नियोजन में पाई गई कागियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय वे कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा नियमित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर वह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,


उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ०३।०६।१८।२०१८

पृ० क्रमांक २३५५/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-



- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय और प्रशासन भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन संत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के विजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल





संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

६६८

क्रमांक २५२ /अकादमी/संबद्धता/2017

इले,

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

PRINCIPAL / DIRECTOR,
RAGHUKUL COLLEGE OF EDUCATION,
PLOT NO.209, VILL- SARVAR, POST-SURAJ NAGAR,
BLOCK FANDA, TEH- HUZUR, BHOPAL-462044,
MADHYA PRADESH.

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

राज्यर्थ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १४४२९४ दिनांक: ३/५/१३.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: ३५५.

नहोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदल अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके गहाविद्यालय में संवालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०ए८० — ५० छात्र संख्या

शर्तों:-

१. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
२. विश्वविद्यालय के परिवियम क्र.२.७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५.६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
३. महाविद्यालय का आद-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
४. शासी विकास की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
५. शिक्षकों की विद्युतित विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
६. विद्या संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश माल्य जही किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
७. संबद्धित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विशेषण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके नियंत्रणानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अविवार्य होगा।
८. जिन महाविद्यालय वे कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की विद्युतित जही की है तथा नियामित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जगा जही किया है, उन महाविद्यालयों में संवालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
९. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविधिमिता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।



पृ० क्रमांक १२९३ /अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

१. आद्युक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
२. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
३. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग भ.प्र. शाखा नंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
४. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
५. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ०३/०६/१७

B

ग्रन्थालयकार्यालय अधिकारी



संबद्धता की विरक्तरक्त

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कलांक २३% अकादमी/संबद्धता/2017
इति,

भोपाल, दिनांक ०३/०६/२०१८

**PRINCIPAL / DIRECTOR,
ABHILASHA COLLEGE OF EDUCATION,
RATIBAD, BHOPAL MADHYA PRADESH**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विरक्तरक्त सत्र 2017-18.

सब्दर्भ:- (1) याष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संबंधित पत्र क्रमांक: १३८५५८ दिनांक: ३०/५/१८।

(2) याष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: ३५२।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विरक्तरक्त निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०एड० - १०० - छात्र संख्या

शर्तेः-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विरक्तरक्त के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परीक्षियम क्रं. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी विकाय की बैठकों का वियक्ति आयोजन एवं विवरण राहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परीक्षियम क्रं. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विद्यार्थी संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विदेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा नियर्थित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जगा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अजियमिता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरक्त नहीं होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ०३/०६/२०१८

पृ० क्रमांक २२७७ /अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, याष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- उपरायिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय यल्लभ भवन भोपाल।
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

सहा-कुलसचिव, अकादमी



67

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २३६१ /अकादमी संबद्धता/2017
द्वारा,

भोपाल, दिनांक ८ अगस्त २०१८।

PRINCIPAL/DIRECTOR,
MITTAL INSTITUTION OF EDUCATION,
KAROND BHOPAL 462038 MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

संबद्धता:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: ५५२७ दिनांक: ३१/५/२०१५

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: २३६१

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अबुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की घरा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी०ए०० १०० छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वार्ड एकाउंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का वियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की वियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विद्या संबद्धता के विसी भी छात्र का प्रवेश मान्य बही विद्या जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व भड़ाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विद्यामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले लिरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना विद्यामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की वियुक्ति नहीं की है तथा विधीरित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उब महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविधिमितता पाए जाने पर वह आदेश स्वतः विस्त भावा जाएगा।



पृ० क्रमांक २३६१ /अकादमी संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- दौत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के भाष्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

आदेशानुसार,

म.प्र.-कुलसचिव अकादमी
भोपाल, दिनांक ८ अगस्त २०१८।

सहा.-कुलसचिव, अकादमी

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृष्ठा २३० / अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक ०५/०६/२०१८

PRINCIPAL / DIRECTOR,

TEERATH INSTITUTE DEEPPDI BHOJPUR ROAD
BHOPAL, CITY: BHOPAL, MADHYA PRADESH

दिक्षण:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

लक्ष्य:- (1) यात्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 144421 दिनांक: २१.५.२०१८

(2) यात्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: ३७.

नहोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरावत आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड० 100 छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी आधारेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-खर्च पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी विकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विद्यामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वाय दर्शाई गई किमियों तथा विश्वविद्यालय द्वाय करवाए जाने वाले विशेषण में पाई गई किमियों की सूचना विद्यामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विदेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए भलाविद्यालय द्वाय शपथ पत्र एक अप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिव महाविद्यालय वे कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा विश्वविद्यालय सीमा में संबद्धता शुलक जगा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों ने संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,


उप-कुलसंचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ०५/०६/२०१८

पृष्ठा २३०/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, यात्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानवा भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसंचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ अय्यन भोपाल
- उपकुलसंचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसंचिव के निजी सहायक के नाम्यम से सूचनार्य।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल


संहा.-कुलसंचिव अकादमी



677

संबद्धता की विस्तृतता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २३०५/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०३/०६/२०१८

**PRINCIPAL / DIRECTOR,
SECT COLLEGE OF PROFESSIONAL EDUCATION,
NH-12, BHARONPUR, HOSHANGABAD ROAD,
MISROD, BHOPAL 462026 MADHYA PRADESH**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विस्तृतता सत्र 2017-18.

सबर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: ५५४१२ दिनांक: ३०. ५. २०१८

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: १५४.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विस्तृतता विनियोगित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. वी०ए० - १०२ छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विस्तृतता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का विचारित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की वियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विद्या संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश गाव्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियोजित पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अविवार्य होगा।
- जिब महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की वियुक्ति नहीं की है तथा विवारित सभय सीमा ने संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना समव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कर्जी/अविवार्यता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विस्तृत माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसंचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ०३/०६/२०१८

पृ०क्रमांक २३०५/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसंचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन संत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसंचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसंचिव के जिजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा.-कुलसंचिव, अकादमी



संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

679

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २३६ /अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक २३/०६/१८

PRINCIPAL / DIRECTOR,
CHOUHAN COLLEGE OF EDUCATION,
PLOT NO. - 127, KOLAR ROAD, VILLAGE - SUNKHEDI,
P.O. - KOLAR ROAD, TEHSIL - HUZUR, DIST. -
BHOPAL MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

साब्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १५५६५२ दिनांक: ३१/५/२०१८

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: ५०७

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अबुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०एड० ५०७ छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिवियम रु. २.७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का विवेचित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की विद्युक्ति विश्वविद्यालय के परिवियम रु. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियमक संस्था व उक्त शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियमण में पाई गई कमियों की सूचना वियामक संस्था तथा उक्त शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके नियंत्रणानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की विद्युक्ति नहीं की है तथा नियारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन गलाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करवा संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अग्रिमिता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विस्तृत गाना जाएगा।

आदेशानुसार,

दप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक २३/०६/१८-१९

क्रमांक २३०७/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उक्त शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुढ़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मालस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसचिव उक्त शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय बल्लीभ भवन भोपाल
- उपकुलसचिव/लोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के लिये सहायक के माध्यम से सूचनार्थी।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



६८४

संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २३०८ / अकादमी/ संबद्धता/ २०१७
प्रति,

भोपाल, दिनांक ८ जून २०१८

PRINCIPAL / DIRECTOR
SHARDA VIHAR SHIKSHA COLLEGE
RUN BY SHARDA VIHAR JANKALYAN SAMITI,
KHASARA NO. - 1/1/36 TO CONTINUE, PLOT NO. - 32, VILLAGE - MENDORA, P.O. - SURAJ
NAGAR, TEHSIL - HUZUR, DIST. - BHOPAL - 462044, MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विरंतरता सत्र 2017-18.

संबद्ध:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 125903 दिनांक: २०/५/२०१५
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची
क्रमांक: 528.

महोदय,


विद्या परिषद की स्थाई रामिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी०ए० - १०० छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विरंतरता के लिये नियमानुसार आदेश करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पालन सुविश्वसन करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-करण पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित कर्त्ता कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी विकास की बैड्कों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश आव्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व ग़ा़बिद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जावे वाले नियीकण वे पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड २८ के तहत ग्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन भवित्वालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त भावा जाएगा।

आदेशानुसार,


उप-कुलसंचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ८ जून २०१८

क्रमांक २३०९ / अकादमी/ संबद्धता/ २०१८

प्रतिलिपि:-



- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय लतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
- उपसंचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
- उपकुलसंचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसंचिव के निजी संहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल


सहा-कुलसंचिव, अकादमी



६४५

संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २३१०/अकादमी/संबद्धता/२०१७
प्रति,

भोपाल, दिनांक ८ अगस्त २०१७

PRINCIPAL / DIRECTOR,
AARAV DIKSHA SHIKSHAN SHANSTHAN,
PLOT NO. - 113/1/2/6 GHA, NH-12,
VILLAGE - TARA SEWANIA, P.O. - GANDHI NAGAR, TEHSIL - HUZUR,
DIST. - BHOPAL MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 ने अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संबोधित पत्र क्रमांक: १८/३०७ दिनांक: १०/५/१७

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची
क्रमांक: ५३०.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०ए५० —५० छात्र संख्या

शर्तों:-

१. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
२. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २.७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५.६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
३. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करना कर प्रस्तुत करना होगा।
४. शासी निकाय की बैठकों का वियापित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
५. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
६. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
७. संबोधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियोजित में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विरेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
८. जिब महाविद्यालय वे कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा नियोजित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
९. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियन्त्रितता पाए जाए पर यह आदेश रूप से विस्तृत बना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव/अकादमी

भोपाल, दिनांक ८ अगस्त २०१७

पृष्ठ क्रमांक २३११/अकादमी/संबद्धता/२०१७

प्रतिलिपि:-

१. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
२. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
३. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
४. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा वरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
५. कुलपति/कुलसचिव के निजी दाहायक के माध्यम से सूचनार्थी।
६. वेबसाईट प्रभारी, वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

Dr. राजा-खिलरी चिव, अकादमी